[2025] 1 एस.सी.आर. 431 : 2025 आईएनएससी 38

प्रधान आयकर आयुक्त-4 एवं अन्य

बनाम

एम/एस ज्यूपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

(विशेष अनुमति याचिका सं. 63/2025)

02 जनवरी 2025

[जे. बी. पारडीवाला एवं आर. महादेवन, न्यायाधीश]

विचारणीय मुद्दा

क्या शेयर पूंजी में कमी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) में प्रयुक्त "संपत्ति का विक्रय, विनिमय या परित्याग" के अंतर्गत आती है।

शीर्ष टिप्पणियाँ†

आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 2(47) - "संपत्ति का विक्रय, विनिमय या परित्याग" - क्या शेयर पूंजी में कमी उक्त अभिव्यक्ति "संपत्ति का विक्रय, विनिमय या परित्याग" के अंतर्गत आती है:

अभिनिर्धारित किया गया कि: हाँ - सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी तथा उसके परिणामस्वरूप निर्धारिती की शेयरधारिता में अनुपातिक कमी, धारा 2(47) में प्रयुक्त "संपत्ति का विक्रय, विनिमय या परित्याग" की परिधि में स्पष्ट रूप से आती है - धारा 2(47) एक समावेशी परिभाषा है, जो अन्य बातों के साथ यह प्रावधान करती है कि किसी संपत्ति का परित्याग या उसमें किसी अधिकार का समाप्त होना, पूंजीगत संपत्ति के अंतरण के समान है - यद्यपि करदाता शेयर पूंजी में कमी के पश्चात भी कंपनी का शेयरधारक बना रहता है, तथापि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कंपनी के संबंध में उसके शेयरधारक के रूप में उसके अधिकार का कोई भाग समाप्त नहीं हुआ - जब वरीयता शेयर के अंकित मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप शेयर पूंजी में कमी होती है, तब वरीयता शेयरधारक का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार या उसकी शेयर पूंजी तथा परिसमापन के समय शुद्ध परिसंपत्तियों के वितरण में भाग लेने का अधिकार, पूंजी में कमी की सीमा तक अनुपातिक रूप से समाप्त हो जाता है - पूंजीगत संपत्ति में अधिकार की ऐसी कमी, धारा 2(47) के अर्थ में अंतरण के समान है - वर्तमान मामले में, शेयर पूंजी में कमी से पूर्व तथा पश्चात प्रति शेयर अंकित मूल्य समान बना रहा - तथापि, चूँकि कुल शेयरों की संख्या 15,35,05,750 से घटाकर 10,000 कर दी गई

तथा इनमें से निर्धारिती के पास कमी से पूर्व 15,33,40,900 शेयर थे और कमी के पश्चात 9988 शेयर रह गए, अतः यह कहा जा सकता है कि कंपनी में निर्धारिती द्वारा धारित शेयरों की संख्या में कमी के कारण, निर्धारिती ने 15,33,40,900 शेयरों के संबंध में अपना अधिकार समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर उसे प्रति शेयर रु. 10 की दर से 9988 शेयर तथा रु. 3,17,83,474 की राशि प्राप्त हुई - उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व की अपील को निरस्त करते हुए तथा आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए पारित आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं की गई। [पैरा 9, 10, 12, 14, 18]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

कार्तिकेय वी. साराभाई बनाम आयकर आयुक्त [1997] पूरक 3 एससीआर 746 : **(1997) 7 एससीसी 524 - पर निर्भर।**

आयकर आयुक्त बनाम वानिया सिल्क मिल्स (प्रा.) लिमिटेड **(1977) 107 आईटीआर 300 (गुजरात) : 1976 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 92;** *आयकर आयुक्त बनाम जयकृष्ण हरिवल्लभदास* **(1998) 231 आईटीआर 108 : 1997 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 255;** *अनारकली साराभाई बनाम आयकर आयुक्त* [1997] 1 एससीआर 500 : **(1997) 3 एससीसी 238 - का उल्लेख किया गया।**

अधिनियमों की सूची

आयकर अधिनियम, 1961; कंपनी अधिनियम, 2013.

प्रमुख शब्दों की सूची

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47); शेयर पूंजी में कमी; पूंजीगत संपत्ति का अंतरण; विक्रय; 'अंतरण'; "संपत्ति का विक्रय, विनिमय या परित्याग"; संपत्ति का परित्याग; किसी अधिकार का समाप्त होना; सहायक कंपनी; निर्धारिती की शेयरधारिता में अनुपातिक कमी; समावेशी परिभाषा; वरीयता शेयर; वरीयता शेयरधारक का अधिकार; वरीयता शेयर के अंकित मूल्य में कमी।

मामले की उत्पत्ति

असाधारण अपीलीय अधिकारिता: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 63/2025

प्रधान आयकर आयुक्त-4 एवं अन्य बनाम
एम/एस ज्यूपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा आईटीए सं. 299/2019 में दिनांक 20.02.2023 को पारित निर्णय एवं आदेश से

अधिवक्तागण

एन. वेंकटरमण, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, राज बहादुर यादव, सुयश पांडेय, नवंजय महापात्र, वी. चंद्रशेखर भारती, चिन्मयी चंद्रा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>आदेश</u>

1. विलंब को क्षम्य किया गया।

2. यह याचिका राजस्व के द्वारा दायर की गई है, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा आयकर अपील (आईटीए) सं. 299/2019 में दिनांक 20.02.2023 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति मांगी गई है, जिसके द्वारा राजस्व द्वारा आईटीएटी, बेंगलुरु द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर अपील को निरस्त कर दिया गया तथा परिणामस्वरूप आईटीएटी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की गई।

3. उच्च न्यायालय द्वारा अपील को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न पर स्वीकार किया गया था:

> *"क्या मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, अधिकरण विधि में सही था जब उसने निर्धारिती द्वारा दावा किए गए रु. 164,48,55,840/- के पूंजीगत हानि के अस्वीकृति को यह कहते हुए निरस्त किया कि 153340900 शेयरों के संबंध में अधिकारों का समाप्त होना हुआ है, जबकि निर्धारिती द्वारा धारा 2(47) के अंतर्गत अपेक्षित ऐसा कोई अधिकारों का समाप्त होना प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा शेयर के अंकित मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।"*

4. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि उत्तरदाता निर्धारिती एक कंपनी है जो शेयरों में निवेश, लीजिंग, वित्तपोषण तथा धन उधार देने के व्यवसाय में संलग्न है। निर्धारिती ने एशियानेट न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, जो एक भारतीय कंपनी है

तथा समाचार प्रसारण के व्यवसाय में संलग्न है, में प्रति शेयर रु. 10 के अंकित मूल्य वाले 14,95,44,130 शेयर क्रय कर निवेश किया। तत्पश्चात, निर्धारिती ने अन्य पक्षों से 38,06,758 शेयर क्रय किए, जिससे उसकी शेयरधारिता बढ़कर 15,33,40,900 शेयर हो गई, जो कंपनी के कुल शेयरों की संख्या अर्थात् 15,35,05,750 का 99.88% था।

5. उक्त कंपनी को हानि हुई, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की निवल संपत्ति क्षीण हो गई। तत्पश्चात, कंपनी ने अपनी अदा की गई इक्विटी शेयर पूंजी के विरुद्ध हानि का समायोजन करने हेतु अपनी शेयर पूंजी में कमी के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने कंपनी की शेयर पूंजी को 15,35,05,750 शेयरों से घटाकर 10,000 शेयर करने का आदेश दिया। परिणामस्वरूप, निर्धारिती की हिस्सेदारी भी अनुपातिक रूप से 15,33,40,900 शेयरों से घटकर 9,988 शेयर हो गई। तथापि, शेयर पूंजी में कमी के पश्चात भी प्रति शेयर अंकित मूल्य रु. 10 ही बना रहा। उच्च न्यायालय ने कंपनी को निर्धारिती को प्रतिफल के रूप में रु. 3,17,83,474/- के भुगतान का भी निर्देश दिया।

6. उक्त वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने उक्त कंपनी के शेयरों की बिक्री से उत्पन्न दीर्घकालिक पूंजीगत हानि का दावा किया, जो शेयर पूंजी में कमी के कारण उत्पन्न हुई थी। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के दावे से असहमति व्यक्त करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि सहायक कंपनी के शेयरों में कमी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) के अंतर्गत परिकल्पित पूंजीगत संपत्ति के अंतरण के समान नहीं है। निर्धारण अधिकारी का मत था कि यद्यपि कंपनी की शेयर पूंजी में कमी के कारण शेयरों की संख्या घट गई, तथापि प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य तथा शेयरधारिता संरचना समान बनी रही। निर्धारण आदेश से संबंधित अवलोकन निम्नलिखित रूप से उद्धृत किए जाते हैं:

> *"10. [...] तथापि, शेयरधारकों के संबंध में अधिकारों के समाप्त होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। यह केवल शेयरों की संख्या के समाप्त होने के माध्यम से शेयरों में कमी थी और शेयरधारकों के अधिकारों का समाप्त होना नहीं था। केवल इस कारण से कि "समाप्त" शब्द याचिका या न्यायालय के आदेश में उल्लिखित है, इसका यह अर्थ नहीं*

है कि अधिनियम की धारा 2(47) के अनुसार "अधिकारों का समाप्त होना" का अर्थ उसी प्रकार ग्रहण किया जाए।

xxx xxx xxx

अधिकारों का समाप्त होना का अर्थ यह होगा कि निर्धारिती ने उन शेयरों को किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित किया है या बेच दिया है। यहाँ, निर्धारिती ने कोई शेयर नहीं बेचे हैं और न ही उनसे अलग हुआ है क्योंकि वह अभी भी वही अनुपातिक प्रतिशत धारण किए हुए है जो प्रारंभ में धारण किया गया था और वह अभी भी निवेश के रूप में दर्शाया गया है।"

7. अपील में, सीआईटी(ए) ने दिनांक 14.12.2017 के आदेश द्वारा, ***कार्तिकेय वी. साराभाई बनाम आयकर आयुक्त***, (1997) 7 एससीसी 524 में इस न्यायालय के निर्णय से वर्तमान मामले के तथ्यों को पृथक करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अधिकारों के किसी भी समाप्त होने में किसी अन्य पक्ष को शेयरों के प्रतिशत का विक्रय करना या उसमें अधिकारों से वंचित होना सम्मिलित होगा। सीआईटी(ए) द्वारा किए गए प्रासंगिक अवलोकन निम्नलिखित रूप से पुनरुत्पादित किए जाते हैं:

"6.6(ii) वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति तथा न्यायिक निर्णयों की लागू होने की स्थिति स्पष्ट रूप से यह प्रकट करती है कि निर्धारिती का पूंजीगत हानि का दावा स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान मामले में विचारार्थ उत्पन्न होने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के शेयरधारिता पैटर्न का विश्लेषण आक्षेपित आदेश में किया है, जिसका अवलोकन किया गया है। ए एन एन पी एल के शेयरों के प्रारंभिक/समापन शेष, तथा उसके परिणामस्वरूप संख्या/अंकित मूल्य में कमी और शेयरधारिता के प्रतिशत अनुपात का तुलनात्मक विश्लेषण यह स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करता है कि कोई प्रभावी अंतरण नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक पूंजीगत हानि उत्पन्न हो...

(iii) [...] यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि कोई प्रभावी अंतरण नहीं हुआ, जिससे वास्तविक दीर्घकालिक पूंजीगत हानि उत्पन्न हो सके,

जैसा कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया है। यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी (ए एन एन पी एल) में विभिन्न तिथियों पर कुल इक्विटी शेयरों में रु. 153340900/- का निवेश प्रति शेयर रु. 10 के अंकित मूल्य पर किया। ए एन एन पी एल के कुल शेयरों की संख्या 153505750 थी, जिसमें से निर्धारिती की हिस्सेदारी 99.88% थी। शेयर कमी योजना के परिणामस्वरूप ए एन एन पी एल की शेयर पूंजी 153340900 से घटकर 10000 हो गई और इस प्रकार निर्धारिती के शेयर 153505750 से घटकर 9988 हो गए। शेयरों का अंकित मूल्य कमी के पश्चात भी रु. 10 ही बना रहा। निर्धारिती कंपनी की शेयरधारिता का अनुपात भी शेयर कमी योजना के क्रियान्वयन के पश्चात अपरिवर्तित रहा। यह प्रतिशत पूर्व शेयरधारिता के 99.88% पर ही बना रहा।"

8. तथापि, आईटीएटी ने सीआईटी(ए) द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया तथा निर्धारिती द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए स्वीकार किया कि ***कार्तिकेय बनाम साराभाई*** के मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होता है। आईटीएटी के आदेश से प्रासंगिक अवलोकन निम्नलिखित रूप से उद्धृत किए जाते हैं:

"6. [...] वर्तमान मामले में, शेयर पूंजी में कमी से पूर्व तथा पश्चात प्रति शेयर अंकित मूल्य समान है अर्थात् प्रति शेयर रु. 10, किन्तु कुल शेयरों की संख्या 153505750 से घटकर 10000 हो गई है और इनमें से वर्तमान निर्धारिती के पास कमी से पूर्व 153340900 शेयर थे तथा कमी के पश्चात 9988 शेयर रह गए। इसके अतिरिक्त, ए एन एन पी एल में निर्धारिती कंपनी द्वारा धारित शेयरों की संख्या में इस कमी के साथ, निर्धारिती को ए एन एन पी एल से रु. 3,17,83,474/- की राशि भी प्राप्त हुई। अतः यह देखा जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, ए एन एन पी एल में निर्धारिती कंपनी द्वारा धारित शेयरों की संख्या में कमी के कारण, निर्धारिती ने 153340900 शेयरों के संबंध में अपना अधिकार समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर उसे प्रति शेयर रु. 10 की दर से 9988 शेयर तथा रु. 3,17,83,474/- की राशि प्राप्त हुई। माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा कार्तिकेय बनाम साराभाई बनाम सीआईटी (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, शेयर पूंजी में कमी से पूर्व तथा पश्चात शेयरधारिता के प्रतिशत का कोई उल्लेख नहीं है और अतः हमारे विचार में, सीआईटी(ए) द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए अपनाया गया आधार कि यह निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता, उचित नहीं है। हमारे विचार में, वर्तमान मामले के तथ्यों में यह निर्णय पूर्णतः लागू होता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का सम्मानपूर्वक अनुपालन करते हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि ए एन एन पी एल में शेयर पूंजी में कमी के कारण निर्धारिती का पूंजीगत हानि का दावा स्वीकार्य है। हम ऐसा अभिनिर्धारित करते हैं।"

9. राजस्व उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में गया। उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा दायर अपील को निरस्त करते हुए तथा आईटीएटी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए अनुच्छेद 8 में निम्नलिखित अवलोकन किया:

"निर्विवाद तथ्य यह हैं कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, शेयरों की संख्या घटाकर 9988 कर दी गई। यह उल्लेखनीय है कि शेयर का अंकित मूल्य कमी के पश्चात भी रु. 10 ही बना रहा। निर्धारण अधिकारी का यह दृष्टिकोण कि मतदान शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि निर्धारिती की 99.88% की हिस्सेदारी अपरिवर्तित रही, असंगत है क्योंकि यदि शेयरों का अंतरण अंकित मूल्य पर किया जाता है, तो मोचन मूल्य रु. 99,880/- होगा, जबकि 14,95,44,130 शेयरों का मूल्य रु. 1,49,54,41,300/- होता। हमारे विचार में, आईटीएटी ने कार्तिकेय बनाम साराभाई बनाम आयकर आयुक्त : 1998 2 आईटीआर 163 एस सी के प्राधिकार का सही अनुपालन किया है, अंतरण के अर्थ के संबंध में यह कहते हुए कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) में निहित उक्त अभिव्यक्ति के अर्थ में कोई अंतरण नहीं हुआ।"

10. राजस्व की ओर से उपस्थित प्रबुद्ध एएसजी श्री एन. वेंकटरमण को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, यह मत व्यक्त किया

जाता है कि आक्षेपित आदेश पारित करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि, विधि की त्रुटि तो दूर की बात है, नहीं की गई है।

11. क्या पूंजी में कमी अंतरण के समान है, यह प्रश्न अब विवादित नहीं रहा है, इस न्यायालय के ***कार्तिकेय बनाम साराभाई*** (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रकाश में, जिसमें इस न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) तथा 45 पर विचार करते हुए निम्नलिखित अवलोकन किया:

> *"**9.** प्रबुद्ध वकील श्री गणेश के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि कमी पूंजीगत संपत्ति के अंतरण के समान नहीं है। अधिनियम की धारा 2(47) इस प्रकार है:*
>
> > *"2. (47) 'अंतरण', पूंजीगत संपत्ति के संबंध में, निम्नलिखित को सम्मिलित करता है,*
> >
> > *(i) संपत्ति का विक्रय, विनिमय या परित्याग; या*
> > *(ii) उसमें किसी अधिकार का समाप्त होना; या*
> > *(iii) किसी विधि के अंतर्गत उसका अनिवार्य अधिग्रहण; या*
> > *(iv) ऐसे मामले में जहाँ संपत्ति को उसके स्वामी द्वारा व्यापार में स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तित किया जाता है या ऐसा माना जाता है, ऐसा परिवर्तन या व्यवहार;*
> > *या*
> > *(v) कोई भी लेन-देन जिसमें किसी अचल संपत्ति का कब्जा, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53-A में उल्लिखित प्रकृति के अनुबंध के आंशिक पालन में, प्रदान किया जाता है या बनाए रखा जाता है;*
> > *या*
> > *(vi) कोई भी लेन-देन (चाहे सहकारी समिति, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संघ का सदस्य बनने के माध्यम से या उसमें शेयर प्राप्त करने के माध्यम से या किसी समझौते या किसी व्यवस्था के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से) जिसका प्रभाव किसी अचल संपत्ति के अंतरण का हो या उसके उपभोग को सक्षम बनाना हो।*

स्पष्टीकरण.–उप-खंड (v) और (vi) के प्रयोजनों के लिए, 'अचल संपत्ति' का वही अर्थ होगा जो धारा 269- यूए के खंड (डी) में है;"

10. *अधिनियम की धारा 45 इस प्रकार है:*

> *"45. पूंजीगत लाभ।–(1) किसी पूंजीगत संपत्ति के अंतरण से उत्पन्न कोई भी लाभ या प्राप्ति, जो पूर्व वर्ष में प्रभावी हुई हो, धारा 53, 54, 54-बी, 54-डी, 54-ई, 54-एफ और 54-जी में अन्यथा प्रावधानित को छोड़कर, 'पूंजीगत लाभ' शीर्षक के अंतर्गत आयकर के अधीन होगी तथा उसे उस पूर्व वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें अंतरण हुआ।"*

11. *धारा 2(47), जो एक समावेशी परिभाषा है, अन्य बातों के साथ यह प्रावधान करती है कि किसी संपत्ति का परित्याग या उसमें किसी अधिकार का समाप्त होना, पूंजीगत संपत्ति के अंतरण के समान है। यद्यपि यह सत्य है कि अपीलकर्ता शेयर पूंजी में कमी के पश्चात भी कंपनी का शेयरधारक बना रहता है, तथापि यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि कंपनी के संबंध में उसके शेयरधारक के रूप में उसके अधिकार का कोई भाग समाप्त नहीं हुआ है। यह आवश्यक नहीं है कि पूंजीगत लाभ उत्पन्न होने के लिए पूंजीगत संपत्ति का विक्रय होना ही चाहिए। विक्रय, धारा 2(47) के अंतर्गत परिकल्पित अंतरण के तरीकों में से केवल एक है। संपत्ति का परित्याग या उसमें किसी अधिकार का समाप्त होना, जो विक्रय के समान नहीं भी हो सकता है, उसे भी अंतरण माना जा सकता है तथा पूंजीगत संपत्ति के अंतरण से उत्पन्न कोई भी लाभ या प्राप्ति, अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत कर योग्य है।*

12. *जब शेयरों के अंकित मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप शेयर पूंजी में कमी होती है, तब वरीयता शेयरधारक का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार या उसकी शेयर पूंजी तथा परिसमापन के समय शुद्ध परिसंपत्तियों के वितरण में भाग लेने का अधिकार, पूंजी में कमी की सीमा तक अनुपातिक रूप से समाप्त हो जाता है। जहाँ अपीलकर्ता को प्रति शेयर रु. 500 की पूंजी पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार था,*

वह घटकर प्रति शेयर रु. 50 पर लाभांश प्राप्त करने तक सीमित हो गया। इसी प्रकार, यदि परिसमापन होता, तो जहाँ पूर्व में प्रति शेयर रु. 500 प्राप्त करने का अधिकार था, अब वह घटकर केवल प्रति शेयर रु. 50 प्राप्त करने तक सीमित हो गया। यद्यपि अपीलकर्त्ता शेयरधारक बना रहता है, तथापि उन शेयरों का धारक होने के रूप में उसका अधिकार, शेयर पूंजी में कमी के साथ स्पष्ट रूप से घट जाता है।

13. *गुजरात उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में, अनारकली साराभाई बनाम सीआईटी [(1982) 138 आईटीआर 437 (गुजरात)] में, अपीलाधीन निर्णय का अनुसरण किया। वह ऐसा मामला था जिसमें कंपनी द्वारा वरीयता शेयर पूंजी का विमोचन किया गया था और शेयरधारकों को धनराशि का भुगतान किया गया था। उसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि शेयरधारक द्वारा प्राप्त अंकित मूल्य तथा वरीयता शेयरों के लिए भुगतान की गई कीमत के बीच का अंतर, पूंजीगत लाभ कर के अधीन है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में अपीलाधीन निर्णय का अनुसरण किया।*

14. *गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय अनारकली मामले [(1982) 138 आईटीआर 437 (गुजरात)] को चुनौती दी गई और इस न्यायालय ने अनारकली साराभाई बनाम सीआईटी [(1997) 3 एससीसी 238 : (1997) 224 आईटीआर 422] में उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की। अनारकली मामले [(1997) 3 एससीसी 238 : (1997) 224 आईटीआर 422] में निर्धारिती की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि वरीयता शेयरों में कमी, संपत्ति का विक्रय या परित्याग नहीं है और अतः कोई पूंजीगत लाभ कर देय नहीं है। इस तर्क को अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(47) में प्रयुक्त "अंतरण" शब्द की परिभाषा पर विचार किया तथा उसे धारा 45 के साथ पढ़ते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी कंपनी द्वारा वरीयता शेयरों का विमोचन किया जाता है, तो वास्तव में शेयरधारक कंपनी को अपने शेयर बेचता है। कंपनी अपने वरीयता*

शेयरों का विमोचन केवल वरीयता शेयरधारकों को शेयरों का मूल्य भुगतान करके तथा उनसे वरीयता शेयर वापस लेकर करती है। यह अवलोकन किया गया कि वास्तव में कंपनी शेयरधारकों से वरीयता शेयर पुनः क्रय करती है। आगे, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि कंपनी द्वारा वरीयता शेयरों में कमी, विक्रय के समान है और अधिनियम की धारा 2(47) के अंतर्गत "संपत्ति का विक्रय, विनिमय या परित्याग" वाक्यांश के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आती है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 2(47) के अंतर्गत "अंतरण" शब्द की परिभाषा परिपूर्ण नहीं है तथा धारा 2(47) के खंड (I) की उपधारा यह इंगित करती है कि किसी भी पूंजीगत संपत्ति से लाभ प्राप्त करने हेतु उससे पृथक होना, अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत कर योग्य होगा। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया गया कि जब कंपनी द्वारा वरीयता शेयरों का विमोचन किया जाता है, तो शेयरधारक को उसके स्थान पर धनराशि प्राप्त करने के लिए अपने शेयरों का परित्याग या समर्पण करना पड़ता है।

15. *हमारे मत में, अनारकली मामले [(1997) 3 एससीसी 238 : (1997) 224 आईटीआर 422] में इस न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू होता है। वर्तमान मामले और अनारकली मामले [(1997) 3 एससीसी 238 : (1997) 224 आईटीआर 422] के बीच केवल यह अंतर है कि अनारकली मामले में वरीयता शेयरों का पूर्णतः विमोचन किया गया था, जबकि वर्तमान मामले में शेयर पूंजी में कमी हुई है, इस प्रकार कि कंपनी ने प्रति शेयर रु. 500 के वरीयता शेयरों को रु. 450 की सीमा तक विमोचित किया। वरीयता शेयर के संबंध में कंपनी की देयता, जो पूर्व में प्रति शेयर रु. 500 थी, अब घटकर प्रति शेयर रु. 50 रह गई।"*

12. उपर्युक्त निर्णय से निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं:

a. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47), जो एक समावेशी परिभाषा है, अन्य बातों के साथ यह प्रावधान करती है कि किसी संपत्ति का परित्याग या उसमें

किसी अधिकार का समाप्त होना, पूंजीगत संपत्ति के अंतरण के समान है। यद्यपि करदाता शेयर पूंजी में कमी के पश्चात भी कंपनी का शेयरधारक बना रहता है, तथापि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कंपनी के संबंध में उसके शेयरधारक के रूप में उसके अधिकार का कोई भाग समाप्त नहीं हुआ।

b. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के अंतर्गत कंपनी को अपनी शेयर पूंजी में कमी करने का अधिकार है और इसके लिए अपनाए जाने वाले तरीकों में से एक वरीयता शेयर के अंकित मूल्य को कम करना है।

c. जब शेयर के अंकित मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप शेयर पूंजी में कमी होती है, तब वरीयता शेयरधारक का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार या उसकी शेयर पूंजी तथा परिसमापन के समय शुद्ध परिसंपत्तियों के वितरण में भाग लेने का अधिकार, पूंजी में कमी की सीमा तक अनुपातिक रूप से समाप्त हो जाता है। पूंजीगत संपत्ति में अधिकार की ऐसी कमी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) के अर्थ में स्पष्ट रूप से अंतरण के समान है।

13. ***आयकर आयुक्त बनाम वानिया सिल्क मिल्स (प्रा.) लिमिटेड*** (1977) 107 आईटीआर 300 (गुजरात) में यह अवलोकित किया गया कि "उसमें किसी अधिकार का समाप्त होना" अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ है। यह प्रत्येक ऐसे लेन-देन को आच्छादित करता है जो पूंजीगत संपत्ति में निर्धारिती के पास उपलब्ध अधिकारों के समुच्चय–गुणात्मक या मात्रात्मक–के विनाश, नाश, समाप्ति, अंत, अवसान या निरस्तीकरण, चाहे वह संतुष्टि द्वारा हो या अन्यथा, का परिणाम देता है, चाहे वह संपत्ति मूर्त हो या अमूर्त।

14. वर्तमान मामले में, शेयर पूंजी में कमी से पूर्व तथा पश्चात प्रति शेयर अंकित मूल्य समान बना रहा। तथापि, चूँकि कुल शेयरों की संख्या 15,35,05,750 से घटाकर 10,000 कर दी गई तथा इनमें से निर्धारिती के पास कमी से पूर्व 15,33,40,900 शेयर थे और कमी के पश्चात 9988 शेयर रह गए, अतः यह कहा जा सकता है कि कंपनी में निर्धारिती द्वारा धारित शेयरों की संख्या में कमी के कारण, निर्धारिती ने 15,33,40,900 शेयरों के संबंध में अपना अधिकार समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर उसे प्रति शेयर रु. 10 की दर से 9988 शेयर तथा रु. 3,17,83,474 की राशि प्राप्त हुई। इस न्यायालय ने ***कार्तिकेय बनाम साराभाई*** (उपर्युक्त) के मामले में शेयर पूंजी में कमी से पूर्व तथा पश्चात शेयरधारिता के प्रतिशत का कोई उल्लेख नहीं किया है।

15. इस न्यायालय ने ***कार्तिकेय बनाम साराभाई*** (उपर्युक्त) के मामले में यह अवलोकन किया कि पूंजीगत संपत्ति में अधिकार की कमी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) के अंतर्गत 'अंतरण' के समान है। विक्रय, धारा 2(47) के अंतर्गत परिकल्पित अंतरण के तरीकों में से केवल एक है। उसमें किसी अधिकार का परित्याग, जो विक्रय के समान नहीं भी हो सकता है, उसे भी अंतरण माना जा सकता है और ऐसे पूंजीगत संपत्ति के अंतरण से उत्पन्न कोई भी लाभ या प्राप्ति, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 45 के अंतर्गत कर योग्य है।

16. गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ***आयकर आयुक्त बनाम जयकृष्ण हरिवल्लभदास*** (1998) 231 आईटीआर 108 में यह और स्पष्ट किया कि अधिकारों के समाप्त होने के बदले किसी प्रतिफल की प्राप्ति, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के अंतर्गत पूंजीगत लाभ की गणना के लिए पूर्वापेक्षा नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा किए गए प्रासंगिक अवलोकन निम्नलिखित रूप से पुनरुत्पादित किए जाते हैं:

> *28. इस तर्क को कि यह प्रावधान केवल वास्तविक प्राप्तियों पर ही लागू होना चाहिए, एक अन्य कारण से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका स्वीकार एक असंगत और विसंगत परिणाम की ओर ले जाएगा, जैसा कि अभी स्पष्ट होगा। इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि जहाँ किसी मामले में कोई राशि प्राप्त होती है, चाहे वह कितनी ही नगण्य या तुच्छ क्यों न हो, वह पूंजीगत लाभ या हानि की गणना का परिणाम देगी, जैसा भी मामला हो, किन्तु ऐसे मामले में जहाँ कंपनी के परिसमापन पर कुछ भी वितरित नहीं किया जाता, अधिकारों का समाप्त होना पूर्ण हानि का परिणाम देगा बिना किसी परिणाम के। अर्थात् जहाँ कुछ लागत की प्राप्ति होती है, चाहे वह कितनी ही नगण्य क्यों न हो, "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना की संपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाएगी और हानि का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा, किन्तु जहाँ पूंजी की कोई प्राप्ति नहीं होती, वहाँ अधिकारों के संपूर्ण समाप्त होने को अधिनियम के अंतर्गत पूंजीगत लाभ की गणना से उत्पन्न हानि के रूप में नहीं माना जाएगा और उसे निरस्त कर दिया जाएगा। प्रस्तावित व्याख्या ऐसे असंगत परिणाम की ओर ले जाती है और इसे*

टाला जाना चाहिए, यदि यह प्रावधान के उद्देश्य के विपरीत नहीं है और जब तक कि उस निष्कर्ष तक पहुँचना युक्तिसंगत रूप से संभव न हो। जैसा कि उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है, एक बार यह निष्कर्ष निकल जाने पर कि कंपनी के परिसमापन पर शेयरों में अधिकारों का समाप्त होना धारा 46(2) को धारा 48 के साथ पढ़े जाने पर अंतरण माना जाएगा, तो इस विधिक कल्पना को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना युक्तिसंगत है ताकि इसे ऐसे अधिकारों के सभी समाप्त होने के मामलों में लागू किया जा सके, चाहे वह किसी प्राप्ति के परिणामस्वरूप हो या शून्य प्राप्ति के, ताकि विषयों के साथ भेदभाव न हो। जहाँ ऐसे भिन्न व्यवहार का कोई आधार नहीं दिखाई देता, वहाँ यह नहीं माना जा सकता कि विधायिका ने ऐसा मानक प्रावधान इस प्रकार के विसंगत परिणाम उत्पन्न करने के लिए बनाया है।

(जोर दिया गया)

17. इस न्यायालय ने ***अनारकली साराभाई बनाम सीआईटी*** (1997) 3 एससीसी 238 के मामले में यह अवलोकन किया कि शेयर पूंजी में कमी या शेयरों का विमोचन, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77(1) में निहित उस नियम का अपवाद है जिसके अनुसार शेयरों द्वारा सीमित कोई भी कंपनी अपने स्वयं के शेयरों को क्रय करने की शक्ति नहीं रखेगी। अन्य शब्दों में, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि शेयर पूंजी में कमी तथा शेयरों का विमोचन दोनों ही कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की क्रय से संबंधित हैं और इस प्रकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) के अंतर्गत 'अंतरण' के अर्थ में सम्मिलित होंगे। प्रासंगिक अवलोकन निम्नलिखित रूप से पुनरुत्पादित किए जाते हैं:

"21. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सथ ग्वालदास मथुरादास मोहता ट्रस्ट बनाम सीआईटी [(1987) 165 आईटीआर 620 (बंबई)] में उस प्रश्न पर विचार किया जो वर्तमान मामले में उत्पन्न हुआ है। वहाँ प्रश्न यह था कि वरीयता शेयरों के विमोचन पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि 'पूंजीगत लाभ' शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है या नहीं। आयकर अधिनियम की धारा 2(47) द्वारा "अंतरण" को दिए गए अर्थ का उल्लेख करने के पश्चात न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:

"यहाँ एक सामान्य 'विक्रय' ही हुआ है। यह अंतरण की सामान्य अवधारणा है। कंपनी ने अपने कोष से शेयरों के विमोचन के लिए निर्धारिती को मूल्य का भुगतान किया और यह लेन-देन स्पष्ट रूप से एक क्रय था। जैसा कि अधिकरण द्वारा उचित रूप से अवलोकित किया गया, यदि कंपनी ने एक मूल्यवान अधिकार क्रय किया, तो निर्धारिती ने एक मूल्यवान अधिकार का विक्रय किया। 'परित्याग' और 'समाप्ति', जो अंतरण की सामान्य अवधारणा में नहीं आते, किन्तु शब्द को विस्तारित अर्थ देकर परिभाषा में सम्मिलित किए गए हैं, इस लेन-देन में भी लागू होते हैं। शेयर संपत्ति थे और उनका परित्याग निर्धारिती द्वारा किया गया और इस प्रकार संपत्ति का परित्याग हुआ। निर्धारिती को, विमोच्य संचयी वरीयता शेयरों का धारक होने के कारण, कंपनी के लाभ में, जब और जैसे उत्पन्न हों, एक निश्चित प्रतिशत पर अधिकार प्राप्त था। स्पष्टतः यह एक मूल्यवान अधिकार था और कंपनी द्वारा शेयरों के विमोचन से यह अधिकार समाप्त हो गया। इस प्रकार, यह लेन-देन 'अधिकारों के समाप्त होने' के समान भी है। इन परिस्थितियों में, किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि धारा 2(47) लागू होती है और निर्धारिती द्वारा प्राप्त रु. 50,000 की राशि 'पूंजीगत लाभ' शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है।"

22. बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अपीलाधीन निर्णय में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है। अपीलाधीन निर्णय में यह इंगित किया गया कि पूंजी में कमी या विमोचन दोनों का मूल आधार कंपनी द्वारा पूंजी की वापसी है। शेयर पूंजी में कमी या शेयरों का विमोचन, धारा 77(1) में निहित उस नियम का अपवाद है जिसके अनुसार शेयरों द्वारा सीमित कोई भी कंपनी अपने स्वयं के शेयरों को क्रय नहीं कर सकती। जब कंपनी अपने वरीयता शेयरों का विमोचन करती है, तो वस्तुतः और सारतः

<u>वह वरीयता शेयरों का क्रय करती है</u>। कंपनी अधिनियमों पर बकले 14वाँ संस्करण, खंड-I, पृष्ठ 181 के उद्धरण पर अवलंबन किया गया:

> *"पूंजी की प्रत्येक वापसी, चाहे सभी शेयरधारकों को हो या किसी एक को, उस सीमा तक शेयरधारक के अधिकारों का क्रय है। यह पूंजी में कमी के रूप में अवैध है, जब तक कि इसे विधिक प्राधिकरण के अंतर्गत न किया जाए, किन्तु बाद की स्थिति में यह पूर्णतः वैध है।"*

(जोर दिया गया)

18. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह मत व्यक्त किया जाता है कि सहायक कंपनी की शेयर पूंजी में कमी तथा उसके परिणामस्वरूप निर्धारिती की शेयरधारिता में अनुपातिक कमी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47) में प्रयुक्त "संपत्ति का विक्रय, विनिमय या परित्याग" अभिव्यक्ति के दायरे में स्पष्ट रूप से आती है।

19. परिणामस्वरूप, यह याचिका विफल होती है और निरस्त की जाती है।

मामले का परिणाम: याचिका निरस्त की गई।

†*शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गईं:* दिव्या पांडे

∗यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।